



## प्रेस नोट

### थाना जहानाबाद पुलिस द्वारा पुरस्कार घोषित 02 गौकश अभियुक्तों को अवैध शस्त्रों/उपकरणों के साथ पुलिस मुठभेड़ में किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक पीलीभीत श्री अतुल शर्मा महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान में अपराध/अपराधियों एवं जनपद में बढ़ रहे गौकशी जैसे गंभीर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के क्रम में श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर महोदय के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 22.09.2023 को मुखबिर खास से समय करीब 22:30 बजे सूचना मिली कि आपके थाने के वांछित व ईनामिया अभियुक्तगण (1) नईम उर्फ मुन्ना पुत्र सलीम निवासी ग्राम रसिया खानपुर थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत (2) आरिफ पुत्र अब्दुल अजीज निवासी ग्राम परतापुर चौधरी थाना इज्जतनगर जनपद बरेली हाल पता फाईक इन्कलेव थाना बारादरी जनपद बरेली, गौकशी की घटना करने के फिराक में ग्राम परेवा वैश्य से अमरिया जाने वाली नहर की पटरी पर पुलिया पर अपने साथियों का इन्तजार कर रहे हैं। अगर जल्दी की जाये तो पकड़े जा सकते हैं। सूचना पर अधिक पुलिस बल हेतु SO अमरिया व SO न्यूरिया पुलिस को सूचित कर मौके पर बुलाया गया। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तगणों की घेराबंदी कर रुकने का इशारा किया गया लेकिन अभियुक्तों की तरफ से फायरिंग शुरू कर दी गयी जिसमें दो गोली सरकारी जीप संख्या UP26G0386 में सामने की तरफ लगी बचाव व जबाबी फायरिंग में एक गोली अभियुक्त नईम उर्फ मुन्ना के पैर में लगी। फायरिंग के दौरान अवसर पाते ही पुलिस टीम द्वारा दोनों अभियुक्त नईम उर्फ मुन्ना व आरिफ को पकड़ लिया गया। इनके पास से 02 अदद नाजायज तमन्चा 315 बोर, 02 खोखा कारतूस 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 मिस कारतूस 315 बोर, तथा मौके पर मिले 01 मोबाइल फोन, कार Hundai Verna एवं गौवध से सम्बन्धित उपकरण एक चापड़, लोहा छुरी 01, एक रेती (धार रखने वाली), एक कुल्हाड़ी, लकड़ी का गट्टा, प्लास्टिक के 02 कट्टे, रस्सीयों को मौके पर कब्जे में लिया गया उक्त घटना के सम्बन्ध में प्रभारी निरीक्षक जहानाबाद द्वारा थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 368/2023 धारा 307/504/506 भा0द0वि0 व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट बनाम (1) नईम उर्फ मुन्ना उपरोक्त (2) आरिफ उपरोक्त पंजीकृत कराया गया व घायल अभियुक्त नईम उर्फ मुन्ना उपरोक्त को उचित इलाज हेतु अस्पताल भिजवाया गया दोनों अभियुक्तों पर पुलिस अधीक्षक पीलीभीत महोदय द्वारा मु0अ0सं0 353/23 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम में वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु 10,000-10,000/- रुपये का पुरस्कार दोनों अभियुक्तों पर घोषित किया था जिसमे थाना जहानाबाद पुलिस को उल्लेखनीय सफलता मिली।

## गिरफ्तार अभियुक्त-

1. नईम उर्फ मुन्ना पुत्र सलीम निवासी ग्राम रसिया खानपुर थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत
2. आरिफ पुत्र अब्दुल अजीज निवासी ग्राम परतापुर चौधरी थाना इज्जतनगर जनपद बरेली हाल पता फाईक इन्कलेव थाना बारादरी जनपद बरेली।

## बरामदगी-

**अवैध शस्त्र- 02 अदद नाजायज तमन्चा 315 बोर**

**02 खोखा कारतूस 315 बोर**

**01 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 मिस कारतूस 315 बोर**

**उपकरण- चापड़, लोहा छुरी, 01 रेती (धार रखने वाली)**

**01 कुल्हाड़ी, लकड़ी का गट्टा, प्लास्टिक के 02 कट्टे व रस्सीयाँ**

**01 मोबाइल फोन एवं कार **Hundai Verna****

## अपराधिक इतिहास-

1. नईम उर्फ मुन्ना पुत्र सलीम निवासी ग्राम रसिया खानपुर थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत।  
मु0अ0सं0 245/2020 धारा 398/401 भादवि0 थाना कैण्ट जनपद बरेली।  
मु0अ0सं0 353/2023 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना जहानाबाद जनपद पीलीभीत  
मु0अ0सं0 368/2023 धारा 307/504/506 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना जहानाबाद जनपद पीलीभीत
2. आरिफ पुत्र अब्दुल अजीज निवासी ग्राम परतापुर चौधरी थाना इज्जतनगर जनपद बरेली हाल पता फाईक इन्कलेव थाना बारादरी जनपद बरेली।  
मु0अ0सं0 135/2022 धारा 307 भादवि0 थाना कटरा जिला शाहजहाँपुर  
मु0अ0सं0 136/2022 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना कटरा जिला शाहजहाँपुर  
मु0अ0सं0 525/2018 धारा 279/307 भादवि0 थाना कटरा जिला शाहजहाँपुर  
मु0अ0सं0 287/2019 धारा 3/5/8 गोवध निवा0 अधि0 थाना निगोही जिला शाहजहाँपुर  
मु0अ0सं0 632/2021 धारा 3/8 गोवध निवा0 अधि0, व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना इज्जतनगर जिला बरेली।  
मु0अ0सं0 833/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना इज्जतनगर जिला बरेली।  
मु0अ0सं0 353/2023 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना जहानाबाद जनपद पीलीभीत  
मु0अ0सं0 368/2023 धारा 307/504/506 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना जहानाबाद जनपद पीलीभीत

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना जहानाबाद-

1. श्री उमेश सिंह सोलंकी प्रभारी निरीक्षक जहानाबाद
2. श्री कमलेश कुमार मिश्र निरीक्षक अपराध
3. व0उ0नि0 श्री नीरज कुमार
4. उ0नि0 श्री देवेन्द्र सिंह राणा
5. उ0नि0 श्री कपिल कुमार
6. उ0नि0 श्री अवधेश कुमार
7. हे0का0 संजीव कुमार
8. का0 शिवाधर
9. का0 हरिओम